न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर (दौसा)

मुकदमा नंबर 35/23 (विविध)

भगवान सहाय पुत्र सम्पत जाति योगी निवासी टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

–अप्रार्थी–

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् पैमाईश के तहत सीमा चिन्ह खडे किये जाने धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 13.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैमाईश के तहत सीमा चिन्ह खडे किये जाने (पत्थरगढी) के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 209/0.51, 333/0.31, 334/0.54, 748/208/0.0150, 750/329/0.16, 751/346/0.13, 753/352/0.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.8650 हैक्टेयर में प्रार्थी खातेदार कश्तकार काबिज आराजी है। दिनांक 28.6.2024 को तहसीलदार मण्डावर द्वारा श्री अनिरूद्धसिंह भू0 अभिलेख निरीक्षक उकरूंद के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान हेतु निर्देशित किया। उक्त टीम द्वारा दिनांक 28.6.2024 को उक्त आराजीयात का मौके पर मय पुलिस जाप्ता के जरीब चलाकर सीमाज्ञान कर निशानात कायम किये गये। दिनांक 30.6.2024 को प्रार्थी ने तहसीलदार मण्डावर से उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये जाने के बाद सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाये जाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा हमे उपखण्ड अधिकारी मण्डावर से आदेश आने के बाद ही सीमा चिन्ह खडे करने को कहा। इस कारण प्रार्थी ने उक्त आराजीयात की पैमाईश पर जो निशानात कायम किये गये है, कि सीमा पर चिन्ह खडे करने में अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तो पुलिस इमदाद से कार्य सम्पादन करे एवं पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने के लिए निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के सरकार पैरोकार उपस्थित हुए । अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। हमने प्रार्थी के वकील एवं सरकार पक्ष की बहस सुनी जिसका मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा में संवत 2072–2075 जमाबंदी 2077 में आराजी खसरा नम्बर 209/0.51, 333/0.31, 334/0.54, 748/208/0.0150, 750/329/0.16, 751/346/0.13, 753/352/0.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.8650 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आता है। इसलिये प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 209/0.51, 333/0.31, 334/0.54, 748/208/0.0150, 750/329/0.16, 751/346/0.13, 753/352/0.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.8650 हैक्टेयर समस्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है । यदि किसी प्रकार के विवाद की सम्भावना हो तो पुलिस इमदाद लेकर समस्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जाने के आदेश पारित किये जाते है। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारो को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)